

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

**तदर्थ छूट आदेश संख्या 5/2021-सीमाशुल्क**

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2021

सा.का.नि... (अ). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 महामारी के कारण व्याप्त आपवादिक परिस्थितियों के अंतर्गत, आशवस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के तदर्थ छूट आदेश संख्या 4/2021-सीमाशुल्क दिनांक 3 मई, 2021, जिसे सा.का.नि. 316 (अ), दिनांक 3 मई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, अंक, अक्षर और शब्द "30 जून, 2021" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 अगस्त, 2021" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/37/2021-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी(पीटी-1)]

(राजीव रंजन)  
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान आदेश संख्या 4/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 3 मई, 2021 को सा.का.नि. 316(अ), दिनांक 3 मई, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था ।